बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

किसानों की हितैषी सरकार

सभी किसानों को सिंचाई के लिए खेत तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की अभिनव पहल...

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बंध योजना अंतर्गत उठाये जा रहे कदम...

- चतुर्थ कृषि रोडमैप के अनुरूप राज्य के किसानों के बीच सितम्बर 2026 तक 8 लाख 40 हजार कृषि विद्युत सम्बंध देने का लक्ष्य है। अब तक 5 लाख 42 हजार कृषि विद्युत सम्बंध प्रदान किये जा चुके हैं।
- राज्य के किसानों के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि कार्य हेतु विद्युत आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- इसके तहत व्यापक स्तर पर डेडिकेटेड कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है। खेतों तक युद्धस्तर पर तार-पोल एवं सम्बंधित विद्युत संरचनाओं का विस्तार किया जा रहा है।

किसानों को निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है।
इच्छुक किसान 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

अगले तीन माह के अंदर सभी इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषि कार्य हेतु पम्प अधिष्ठापन स्थल की सूचना सम्बंधित विद्युत कार्यालय को कृपया अविलम्ब दें ताकि आवश्यक विद्युत संरचनाओं का निर्माण ससमय करते हुए कृषि विद्युत संबंध देना सुनिश्चित किया जा सके।

आवेदन कैसे करें

"सुविधा ऐप" की सहायता से या वेबसाइट: nbpdcl.co.in / sbpdcl.co.in अथवा स्थानीय शिविर एवं नजदीकी विद्युत कार्यालय के माध्यम से

निर्धारित कृषि विद्युत दर ₹6.74 प्रति यूनिट में से राज्य सरकार द्वारा ₹6.19 प्रति यूनिट सब्सिडी के तौर पर दिया जा रहा है।
किसानों को पटवन/सिंचाई के लिए बिजली मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट मिलती है।

अब हर खेत होगा हरा-भरा!

जल्द से जल्द आवेदन करें एवं योजना का लाभ उठाएं।

हमारा आधार... ऊर्जस्वित बिहार

@EnergyBih